भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH T 950888

ट्रस्ट डीड

यह विलेख आज दिनांक 17 05. 2014 को संस्थापक श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री घनश्याम सिंह निवासी–ग्राम व पोस्ट ककुआ जिला–आगरा उ0 प्र0 द्वारा निष्पादित किया गया।

1. ट्रस्ट का नाम – संस्कार एजूकेशन डवलपमेन्ट ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का पता – ग्राम व पोस्ट ककुआ ग्वालियर रोड, आगरा
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र – ट्रस्ट की शाखायें सम्पूर्ण भारतवर्ष में स्थापित की जा सकती है।
4. ट्रस्ट में लगाया गया धन– ट्रस्ट में लगाया गया धन 11,000 रूपये नगद धनराशि उक्त दोनों के द्वारा निजी जमीन पर ट्रस्ट की स्थापना हेतु समर्पित किया गया है।

" भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व से आबद्ध होता है जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है अथवा घोषित एवं स्वीकार करता है सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हितों अथवा लाभ के लिये स्वीकार होगा"।

1. ट्रस्ट के तत्व – मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है। आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हिताधिकारियों का होना आवश्यक है ट्रस्ट का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आबद्ध करेगा ।

इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति के स्वामी के द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

..2..पर

स्टाम्प विक्रय की तिथि ...... [illegible]

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

.... (जिला आगरा)

स्टाम्प की धनराशि 500

मो० वहीद
लाईसेन्स नं० 188
ला० की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BZ 066996

उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे :

1– श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री घनश्याम सिंह निवासी–ग्राम बाद पोस्ट ,ककुआ जिला–आगरा संस्थापक

2– श्री प्रदीप सिंह चाहर पुत्र श्री गुलाब सिंह निवासी–ग्राम बाद पोस्ट ककुआ जिला आगरा अध्यक्ष

3– श्री अजय सिंह चाहर पुत्र श्री गुलाब सिंह निवासी–ग्राम बाद पोस्ट ककुआ जिला आगरा सचिव

5–ट्रस्ट के उद्देश्य :–

1. शिक्षा के विकास हेतु प्राईमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल, कालेज, डिग्री कॉलेज, पी० जी० कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज,मेडीकल कॉलेज, की स्थापना करना तथा दूरस्था शिक्षा, तकनीकी, औद्योगिक, व्यावसायिक एवं ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा संस्थानों,उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सी०बी०एस०ई०एवं आई०सी०एस०ई० / यू०जी०सी० शिक्षा पद्धति की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक / युवतियों कोस्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना ।

2. ट्रस्ट का उद्देश्य छात्र–छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु बी०एड०, एम० एड०, बी०टी०सी०, एन०टी०टी० बी०टेक०, बी०बी०ए०, एम०बी०ए०,बी०सी०ए०,एम०सी०ए०, प्रबन्धन महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,फार्मेसी कॉलेज, एप्लाइड आर्ट एण्ड ग्राफ, मेडीकल तथा डैन्टल महाविद्यालय, एवं पोलीटेक्निक, वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर, शासन की अनुमति द्वारा संचालित करना।

3. ट्रस्ट का उद्देश्य बच्चों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाने हेतु उन्हें तकनीकि एवं व्यावसायिक शिक्षण –प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर एवं योग्य नागरिक बनाना व राष्ट्र विकास में सहयोग करना ।

..3...पर

स्टाम्प दिनांक 16-5-14
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ...
स्टाम्प की धनराशि 100

लाइसेन्स नं० 188
दि० 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

न्यास पत्र

11,000.00	110.00	20	130.00	800
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री गुलाब सिंह (संस्थापक)
पुत्र श्री घनश्याम सिंह
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी बाद पो0 ककुआ जिला आगरा
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 19/5/2014 समय 12:59PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एल सी पाण्डेय
उपनिबन्धक पंचम
सदर आगरा
19/5/2014

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री गुलाब सिंह (संस्थापक)
पुत्र श्री घनश्याम सिंह
पेशा व्यापार
निवासी बाद पो0 ककुआ जिला आगरा

श्री प्रदीप सिंह चाहर (अध्यक्ष)
पुत्र श्री गुलाब सिंह
पेशा व्यापार
निवासी बाद पो0 ककुआ आगरा

श्री अजय सिंह चाहर (सचिव)
पुत्र श्री गुलाब सिंह
पेशा व्यापार
निवासी बाद पो0 ककुआ आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BZ 066997

4. कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करना एवं सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्रदान करना ।

5. ट्रस्ट का उद्देश्य समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों,राहतशिविरों, जनजागृति शिविरों, कला –प्रदर्शनी, का आयोजन करना तथा प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम,बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन मद्य निषेध कार्यक्रम चलाना।

6. देश–विदेश एव प्रदेश की समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एवं उनका सहयोग करना एवं ऐसी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना एवं संस्थाओं के विकास हेतु पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन कर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना ।

7. ट्रस्ट का उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राइमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाइस्कूल एवं इण्टरमीडिएट तथा आवश्यकतानुसार महाविद्यालय तक के विद्यालयों एवं शोध संस्थानों की स्थापना कर अन्य का ज्ञान उपलब्ध कराना, कम्प्यूटर प्रणाली की नवीनतम जानकारियों उपलब्ध करना व कराना व नव युवक–युवतियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार की ओर अग्रसर करना व कम्प्यूटर के वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

...4..पर

स्टाम्प विक्रय की तिथि 15-5-14

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि 100

स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं० 188
की अवधि 31 मार्च 2018
सदर तहसील, आगरा

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान एम इरफान

पुत्र श्री अशरफ

पेशा अन्य

निवासी कलैक्टी रोड आगरा

व श्री नितिन वर्मा

पुत्र श्री रविश वर्मा

पेशा अन्य

निवासी नार्थ ईदगाह आगरा

ने की ।

प्रत्ययतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

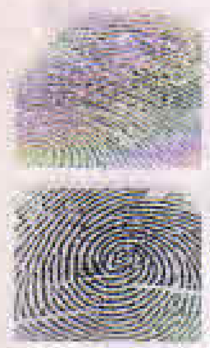

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एल सी पाण्डेय
उपनिबन्धक पंचम
सदर आगरा
19/5/2014

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 182613

8. संस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुविधा हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, क्रीड़ाकेन्द्र, छात्रावास एवं विकलांग तथा बाल श्रमिक विद्यालय की व्यवस्था करना व संचालन की पूर्ण व्यवस्था करना। तथा निर्धन व विकलांगों के लिये भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा आदि की सुविधा उपलब्ध कराना

9. निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय,यूनीसेफ, हडको,महिला एवं बाल विकास विभाग,कपार्ट,काई,सिम्सा, नाबार्ड, आवार्ड, नौराड, डूडा,सूडा,सिडवी, राष्ट्रीय महिला कोष,बाल विकास पुष्टाहार,महिला कल्याण एवं बाल कल्याण निधि महिला कल्याण निगम,राष्ट्रीय बाल भवन वस्त्र शिल्प हस्त मंत्रालय ,पर्यावरण मंत्रालय,मत्स्य विभाग, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रममंत्रालय राजीव गाँधी फाउन्डेशन,विश्व स्वास्थ्य संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों कोचलाकर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना ।

...5...पर

6

स्टाम्प विक्रय की तिथि 10-5-14

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि 50

लाइसेंस सं. 188

31 मार्च 2016

सदर तहसील, आगरा

न्यासी

Registration No.: 143 Year 2,014 Book No. : 4

0101 गुलाब सिंह (संस्थापक)

घनश्याम सिंह

बाद पो0 ककुआ जिला आगरा

व्यापार

0102 प्रदीप सिंह चाहर (अध्यक्ष)

गुलाब सिंह

बाद पो0 ककुआ आगरा

व्यापार

0103 अजय सिंह चाहर (सचिव)

गुलाब सिंह

बाद पो0 ककुआ आगरा

व्यापार

10. ऐसी संस्था (समिति) जिसका संचालन जन–हित में ठीक न चल रहा हो ट्रस्ट का संचालन के संचालन का अपना प्रस्ताव देती है तो संस्कार एजूकेशन डवलपमेन्ट ट्रस्ट में ट्रस्टियों से विचार कर ऐसी संस्था का सम्पूर्ण संचालन अधिकारलेन–देन अपने हाथ में प्रस्ताव पारित कर ले सकता है । ट्रस्ट के उद्देश्यों से ऐसी संस्था को ट्रस्ट के रूप में चलायेंगे ।

6– ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण भारतवर्ष ।

7– ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य :–ट्रस्ट में जन सामान्य द्वारा एवं ट्रस्टियों द्वारा दिया गया धन व दान आदि धन राशि ट्रस्ट द्वारा खोले गये खाते में किसी सरकारी/गैर सरकारी बैंक मे जमा की जायेगी । जो जनहित तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च की जायेगी। भवन निर्माण की व्यवस्था के लिये अध्यक्ष तथा सचिव बैंक प्राईवेट कम्पनी,फाइनेन्सर आदि से ट्रस्ट के हित में ब्याज पर इतजाम करेगा उक्त धनराशि के लिये लेन–देन करने (बैंक खाता आपरेट) के लिए अध्यक्ष तथा सचिव/मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर होंगे ।

8—ट्रस्टियों की नियुक्ति :— ट्रस्ट में अध्यक्ष तथा सचिव पद मुख्य ट्रस्टियो के पास आजीवन रहेगा । अध्यक्ष पद पर जीवन पर्यन्त श्री प्रदीप सिंह तथा सचिव पद पर जीवन पर्यन्त श्री अजय सिंह चाहर आजीवन बने रहेंगे । इनकी मृत्यु के बाद इनके वंशज ही ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा सचिव होंगे ।

मुख्य ट्रस्टियो का अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अधिकार रहेगा । और उक्त मनोनयन के आधार पर ही मुख्य ट्रस्टियों की मृत्युपरोन्त वह व्यक्ति अध्यक्ष तथा सचिव बन सकेगा । ट्रस्ट के दोनों ट्रस्टीगण आजीवन ट्रस्टी सदस्य होंगे ।

9—ट्रस्ट की सदस्यता :— यदि कोई सदस्य भविष्य में 11,000 (ग्यारह हजार रुपया) या इससे अधिक अथवा इतने से अधिक मूल्य की कोई अचल—चल सम्पत्ति ट्रस्टी सदस्य बनाने हेतु प्रदान करेगा वह इस ट्रस्ट का आजीवन सदस्य मुख्य ट्रस्टियों द्वारा बनाया जायेगा । ट्रस्ट को दान या समर्पित की जाने वाली अचल सम्पत्ति का पंजीकरण उपनिबन्धक कार्यालय में अनिवार्य होगा। कुल ट्रस्टियों की संख्या आवश्यकतानुसार रह सकेगी ।

10— संचालित संस्थानों की प्रबन्धसमिति में नामित सदस्य :—

ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय व अन्य संस्थायें जो ट्रस्ट द्वारा संचालित है की प्रबन्ध समिति के मुख्य ट्रस्टी श्री प्रदीप सिंह चाहर अध्यक्ष तथा अजय सिंह चाहर सचिव रहेंगे।

सब रजिस्ट्रार [illegible] आगरा
[illegible] जिला आगरा

अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों के लिए दोनों मुख्य ट्रस्टी जिसे उपयुक्त समझे ट्रस्टी सदस्यों में से या बाहर से नामित कर संस्था की प्रबन्ध समिति के लिए भेज सकेंगे । ऐसे पदाधिकारियों व सदस्य पद हेतु भेजे जाने वाले ट्रस्टीजनों एवं सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार होगी ।

विशिष्ट सदस्य –

विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखने वाले अग्रणी व्यक्ति दो वर्ष के लिए मुख्य ट्रस्ट द्वारा विशिष्ट सदस्य नामित किये जा सकेंगे । ऐसे सदस्यों की संख्या अधिकतम 05 होगी । ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे । विशिष्ट सदस्यों को मत देने का अधिकार न होगा।

11– ट्रस्ट मण्डल (प्रमुख) :– ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह चाहर तथा सचिव श्री अजय सिंह चाहर जी है वे ही उक्त पदों पर जीवनपर्यन्त रहेंगे इनकी मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी अथवा नामित व्यक्ति ही ट्रस्ट के क्रमशः अध्यक्ष,सचिव होंगे। जैसा कि उल्लिखित है ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण आजीवन ट्रस्टी सदस्य होंगे ।

12– ट्रस्टियों की संख्या– वर्तमान में ट्रस्टियों की संख्या मुख्य ट्रस्टी को मिलाकर 2 है जिसमें वर्तमान में निम्न पदाधिकारी व सदस्य रहेंगे ।:

...8...पर

जिला आगरा

क्र.सं.	नाम मय बल्दियत पता	पद
1–	श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री घनश्याम सिंह निवासी–ग्राम बाद पोस्ट ककुआ जिला–आगरा	संस्थापक
2–	श्री प्रदीप सिंह चाहर पुत्र श्री गुलाब सिंह निवासी–ग्राम बाद पोस्ट ककुआ जिला आगरा	अध्यक्ष
3–	श्री अजय सिंह चाहर पुत्र श्री गुलाब सिंह निवासी–ग्राम बाद पोस्ट ककुआ जिला आगरा	सचिव

...9...पर

13— ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :—

अध्यक्ष तथा सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :—

1— अध्यक्ष तथा सचिव दोनों के अधिकार समान होंगे ट्रस्ट के हित में लिया गया कोई भी निर्णय दोनों की सहमति/प्रस्ताव अथवा संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा ही मान्य होगा । समस्त प्रकार की सभाओं की अध्यक्षता करना ।

2— ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति का आपात स्थिति में देखकर सचिव की राय से भंग करना एवं कार्यकारिणी समिति के समस्त अधिकार अपने में निहित कर दो माह में कार्यकारिणी समिति का विधिवत निर्वाचन करना ।

3— ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना । मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना ।

4— ट्रस्ट के वार्षिक कार्यक्रमों की रुपरेखा व वार्षिक बजट तैयार कर स्वीकृति हेतु समिति के समक्ष मीटिंग में रखना ।

3— कार्यों की देखभाल करना व ट्रस्ट के वार्षिक हिसाब–किताब आदि की आडीटर या चार्टेड एकाउन्टेन्ट से जाँच कराना और जाँच रिपोर्ट व हिसाब को प्रबन्ध कमेटी व साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।

4— समस्त अभिलेखों को सुरक्षित रखना एवं उसका समय–समय पर निरीक्षण करना ।

5— ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित शिक्षा संस्थानों/कॉलेजों व अन्य इकाईयों धर्मार्थ संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों सेवादारों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।

6— आकस्मिक कार्य को व्यय हेतु 10,000 रुपया तक अपने पास रखना व व्यय करना ।

7— कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिये परियोजना तैयार करना व उससे सम्बन्धित विभागों को स्वीकृत के लिये भेजना । शिक्षण संस्थानों की मान्यता संबद्धता आदि के सम्बन्ध में पत्राचार करना व सम्बन्धित विभागों, विश्वविद्यालयों, शासन आदि से सम्पर्क स्थापित कर सम्बद्धता प्राप्त करना ।

8— ट्रस्ट हितार्थ अन्य वे सभी सभी आवश्यक कार्य करना जो ट्रस्ट की उन्नति एव विकास में सहायक हों ।

9— ट्रस्ट समिति की अचल– चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना दान, अनुदान एव चंदा प्राप्त करना व सदस्यों को उसकी रसीद देना ।

10— ट्रस्ट समिति की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना ।

11— ट्रस्ट समिति के समस्त आवश्यक दस्तावेजों ऋण, अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों, बन्धक विलेखों, बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना ।

12— ट्रस्ट विरोधी कार्य एव अनुशासन हीनता करने पर किसी भी पदाधिकारी व सदस्य की सदस्यता समाप्त करना चाहे वह कार्यकारिणी समिति या साधारण सभा का सदस्य हो किन्तु इसका अनुमोदन ट्रस्ट कमेटी के 2/3 बहुमत से करना अनिवार्य होगा।

13— ट्रस्ट के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना ।

—11— पर

14. प्रतिबन्ध –

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
2. विद्यालय के प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली काउन्सिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः ही समाप्त हो जायेगा
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनाई जावेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमान्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
8. उक्त प्रतिबन्धों में बिना शासन की पूर्व अनुमति के कोई परिवर्तन, परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा ।
9. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
10. उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी ।

यदि हॉ तो कृपया प्रबन्धकारिणी का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम 1 से 10 तक स्वीकार है।

15–

अ– ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय व अन्य धर्मार्थ संस्थाओं के लिये प्रबन्धसमिति का चुनाव इन्हीं ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा । इसके लिये मुख्य ट्रस्टी चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेगा ।

ब– ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय व अन्य संस्थाओं में जो भी पदाधिकारी होंगे जिसमें श्री प्रदीप सिंह चाहर अध्यक्ष तथा श्री अजय सिंह चाहर सचिव के पास आजीवन रहेगा। तथा शेष सदस्य/ पदाधिकारियों का चयन ट्रस्टी सदस्यों में से अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा होगा । जिन्हें मुख्य ट्रस्टी द्वारा पाँच वर्ष के लिये नामित किया जायेगा।

स– संस्कार एजूकेशन डवलपमेन्ट ट्रस्ट के सृजनकर्ता श्री प्रदीप सिंह चाहर अध्यक्ष तथा श्री अजय सिंह चाहर सचिव ट्रस्ट द्वारा स्थापित समस्त विद्यालय, इण्टर कॉलेज व डिग्री कॉलेज एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों धर्मार्थ संस्थानों, का विधिवत सुचारू रूप से संचालित कराने का पूरा अधिकार व दायित्व अध्यक्ष तथा सचिव का ही रहेगा।

16– ट्रस्टियों में से कोई भी ट्रस्टी का अवशान, मृत्यु या कोई नैतिक द्वेष एवं हैसियत से कार्य करने में असमर्थता की वजह से यदि ट्रस्टी मंडल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर या 2/3 बहुमत न होने के आधार पर सदस्यता/पद समाप्ति हो जाता है ऐसे पद/स्थान रिक्त होने पर ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा सचिव को रिक्त स्थान भरने अथवा नया ट्रस्टी नियुक्त ,करने का अधिकार होगा ।

17– संस्था के आजीवन सदस्यों को ट्रस्ट या सम्पत्ति या उसके किसी भाग को ट्रस्ट के हित में निस्तारित करने का अधिकार होगा । और इस सम्बन्ध में वांछित प्रस्ताव उक्त सदस्यों से एक मत से पारित किया जाना आवश्यक होगा ।

18– मुख्य ट्रस्टी को यह अधिकार रहेगा वह किसी भी ऐसे ट्रस्टी को पद से हटा सकता है तथा उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। जो उक्त ट्रस्ट के लिये अवांछनीय अथवा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बाधक हो । अपने उक्त निर्णयों को मुख्य ट्रस्टी द्वारा कार्यकारिणी के 2/3 बहुमत से अनुमोदन करना आवश्यक होगा ।

19– ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा सचिव मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट की सम्पत्ति को ऋण की एवज में बंधक रखने का अधिकार हासिल होगा । और इस सम्बन्ध में ट्रस्ट कार्यकारिणी द्वारा

प्रस्ताव पारित कर अध्यक्ष तथा सचिव को ऋण प्राप्त करने हेतु अथवा ऋण के एवज में ट्रस्ट सम्पत्ति को बन्धक रखने के लिए अधिकृत किया जा सकेगा ।

न्यास विघटन स्थिति में–

यदि किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण न्यास को उद्देश्यों के अधीन संचालित करना सम्भव न हो और इस ट्रस्ट का विघटन अपरिहार्य हो जाये तो इसकी अचल–चल सम्पत्ति को अध्यक्ष तथा सचिव की सहमति से समान उद्देश्यों वाली ट्रस्ट अथवा किसी अन्य संस्था को दान दे दी जायेगी अन्यथा सम्पत्ति को क्रय कर चैरिटेबिल उद्देश्यों हेतु व्यय किया जायेगा।

उक्त ट्रस्ट के पास 11000/– रूपये के अतिरिक्त कोई चल–अचल सम्पत्ति नहीं है। ट्रस्ट का कार्यालय भी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है ।

अतः यह ट्रस्ट डीड मुख्य ट्रस्टी द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकाये व सिखाये व बिना किसी नाजायज दबाव के अपने पूर्ण होशोहवास में अपनी परिवारीजनों से सलाह मशविरा किये लेख दिया । ताकि सनद रहे । और समय पर काम आये ।

गवाह:- मो० इरफान S/o [illegible]
R/o [illegible]/292, [illegible] रोड, आगरा

गवाह:- नितिन वर्मा S/o राकेश वर्मा

S/o

आज दिनांक 19/05/2014 को

बही सं 4 जिल्द सं 208

पृष्ठ सं 263 से 286 पर क्रमांक 143

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एल सी पाण्डेय

उपनिबन्धक पंचम

सदर आगरा

19/5/2014